कार्यालय भू–प्रबन्ध आयुक्त एवं पदेन निदेशक सर्वे भू–अभिलेख (DILRMP)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः पः भूप्रआ/समु/ आरआर/11/2/10/2013/पार्ट–II/ दिनांक :–

भू–प्रबन्ध अधिकारी,
जोधपुर

विषयः– DILRMP योजना अन्तर्गत अधिसूचना धारा 106, 108 के संबध में

प्रसंगः– सयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–1) विभाग,राज0,जयपुर का पत्र कमाक प.13(9)राज–1/2014/पार्ट–I दिनांक 9.5.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा राज्य सरकार ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 106, 108 के अन्तर्गत जोधपुर जिले की 13 तहसीलों की अधिसूचना दिनांक 9.5.2017 प्रसारित कर भिजवाई है ।

अतः अधिसूचनाओं की छाया प्रतियॉ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

sd/-

(अम्बरीष कुमार)
भू–प्रबन्ध आयुक्त एवं
पदेन निदेशक,
सर्वे भू–अभिलेख DILRMP
राजस्थान, जयपुर

कमाक/फा/समसंख्यक/ 1313 दिनांकः– 26-5-2017

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1– प्रभारी DILRMP प्रकोष्ठ मुख्यालय जयपुर को अधिसूचनाओं की छाया प्रतियां संलग्न प्रेषित कर लेख है कि नियमानुसार समय पर सर्वे/रीसर्वे कार्य प्रारम्भ करवाने हेतु वांछित दिशा निर्देश/प्रशासनिक स्वीकृति जारी करावें ।

2– जोन प्रभारी सर्वे/रिसर्वे प्रकोष्ठ जोन जोधपुर ए, श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा,भूमापक संलग्न छाया प्रतियां

3– प्रभारी RBAAS मुख्य कार्यालय,जयपुर संलग्न छाया प्रतियां

4– प्रोग्रामर मुख्य कार्यालय जयपुर को संलग्न छाया प्रतियां

24/07/17

सहायकभू–प्रबन्ध अधिकारी,
मुख्यावास,राजस्थान,जयपुर

1065

Mathur

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः 13(9)राज. / ग्रुप–1 / 2014 पार्ट। जयपुर, दिनांकः - 9 MAY 2017

–:अधिसूचना:–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15) की धारा–108 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एत्‌दद्वारा निर्देश देती है कि जिला जोधपुर की समस्त तहसीलों के समस्त ग्रामों में (धारा–106 के संलग्न सूची में वर्णित अनुसार) अधिसूचित पूर्ण सर्वेक्षण / पुनः सर्वेक्षण तथा भू–अभिलेख संक्रियाओं को डिजीटल इण्डिया भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के उद्देश्यों की क्रियान्विति हेतु स्थाई अपर सर्वे एवं भू–अभिलेख अधिकारी नियुक्त नहीं होने के कारण निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु (धारा–106 के संलग्न सूची के कॉलम संख्या–5 में वर्णित अनुसार) अपर सर्वे एवं भू–अभिलेख अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(एस.आर. पिलानिया)
संयुक्त शासन सचिव

S.M.
23/5/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, जोधपुर।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त पदेन निदेशक, सर्वे–अभिलेख (एसएलआर–डीआईएलआरएमपी), राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक पं. भूप्रआ / समु / भूकर / 11 / 10 / 2 / 2013 / 884 दिनांक 17.04.2017 के क्रम में।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्राणालय, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, जोधपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

पत्र–प्राप्ति
23 MAY 2017
क्रमांक 367

संयुक्त शासन सचिव

RR/57
23/5/17

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः 13(9)राज./ग्रुप–1/2014 पार्ट। जयपुर, दिनांकः 19 MAY 2017

–:अधिसूचना:–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15) की धारा–106 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला जोधपुर की समस्त तहसीलों (संलग्न सूची अनुसार) के समस्त ग्रामों का डि–नोवो आपरेशन डिजीटल इण्डिया भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के अन्तर्गत हाई रेजोलेशन सैटेलाईट इमेजरी (एचआरएसआई) व डीजीपीएस/ईटीएस की सहायता से जी.आई.एस. प्लेटफॉर्म पर डिजीटल सर्वे/रीसर्वे (स्पेशल डाटा) एवं नया डिजीटल भू–अभिलेखन तैयार करने संबंधी कार्यवाही इस अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रारम्भ कर दी जायेगी।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार सूची।

राज्यपाल की आज्ञा से

(एस.आर. पिलानिया)
संयुक्त शासन सचिव

S.M.
23/5/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कलक्टर जोधपुर।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त पदेन निदेशक, सर्वे–अभिलेख (एसएलआर–डीआईएलआरएमपी), राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक पं. भूप्रआ / समु / भूकर / 11 / 10 / 2 / 2013 / 884 दिनांक 17.04.2017 के कम में।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्राणालय, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, जोधपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

RR/58
23/5/17

पत्र–प्राप्ति
23
868
क्रमांक

DILRMP के अन्तर्गत सर्वे/री-सर्वे एवं भू-अभिलेखन हेतु अधिसूचित होने वाली तहसीलें एवं अधिकारी की नियुक्ति संबंधी सूची :-

क.सं.	नाम जिला	क.सं.	तहसील	अपर सर्वे एवं भू-अभिलेख अधिकारी
1	2	3	4	5
1.	जोधपुर	1	शेरगढ	भू-प्रबन्ध अधिकारी जोधपुर
		2	बालेश्वर	
		3	फलौदी	
		4	बाप	
		5	लोहावट	
		6	बिलाडा	
		7	पीपाड शहर	
		8	ओसियां	
		9	बावडी	
		10	तिवरी	
		11	लूनी	
		12	जोधपुर	
		13	भोपालगढ	